ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, सोमवार 23 सितम्बर 2024

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 1 अंक 201

भारत में Mpox क्लेड 1 का पहला मरीज मिला:UAE से केरल लौटा था; क्लेड 1 स्ट्रेन को WHO हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है



24 न्यूज अपडेट

केरल. भारत में मंकीपॉक्स (MPox) के पहले क्लेड 1 स्ट्रेन का पहला मरीज मिला है। यह वही स्ट्रेन है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। मरीज पिछले हफ्ते UAE से केरल लौटा था।

केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, पीड़ित 38 साल का है। 17 सितंबर को मंकीपॉक्स के लक्षण दिखने पर उसने खुद को क्वारंटीन कर लिया था।

इससे पहले 9 सितंबर को देश में मंकीपॉक्स के पहले मरीज मिलने की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति को 8 सितंबर को मंकीपॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकीपॉक्स के स्ट्रेन क्लेड 2 (क्लेड 1 नहीं) की पुष्टि हुई थी।

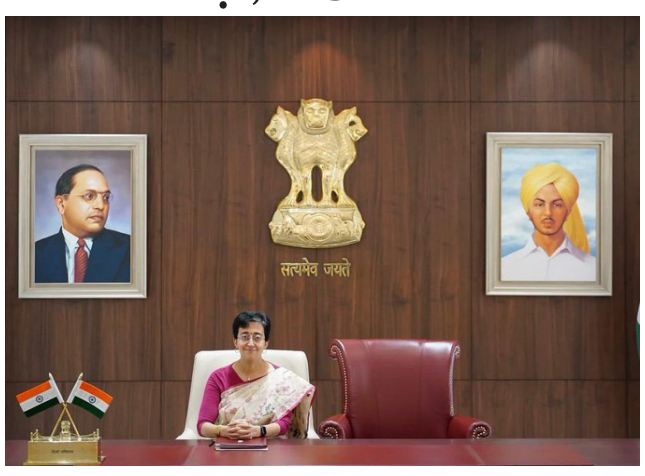
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी

9 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मंकीपॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी। चंद्रा ने कहा था कि मंकीपॉक्स के खतरे को रोकने के लिए सभी राज्यों को हेल्थ एक्शन लेना चाहिए।

राज्यों को मंकीपॉक्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के मंकीपॉक्स पर जारी सीडी-अलर्ट (कम्यूनिकेवल डिजीज अलर्ट) पर एक्शन लेना चाहिए।

इसके अलावा राज्यों को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए। सीनियर अधिकारियों को जिलों की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेना चाहिए।

'आप' की कसम : आतिशी बनी खड़ाऊं सीएम,केजरीवाल की कुर्सी खाली छोड़ी, कहा- जैसे भरत ने सत्ता संभाली वैसे मैं दिल्ली संभालूंगी



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आज आतिशी ने कुर्सी संभालकर भी नहीं संभाली। आतिशी ने सुबह 12 बजे जब सीएम के ऑफिस में जब पद संभालने की औपचारिकताएं पूरी की तो इस दौरान सीएम ऑफिस में उनकी सीट के पास ही एक खाली कुर्सी छोड़ी दी। आतिशी बोलीं- 'जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊं रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली ब्ड की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी।' आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली की सबसे युवा, केवल 43 साल की उम्र में बनने वाली सीएम है। आतिशी ने शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास रखे। वहीं, सौरभ भारद्वाज को हेल्थ समेत 8 प्रमुख विभाग का जिम्मा दिया गया। आतिशी कालकाजी सीट से तीन बार की विधायक हैं। आतिशी के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर कहा- 'इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श नहीं हैं। चापलूसी है। केजरीवाल बताएं, क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे।' आपको बता दें कि शराब नीति केस में दिल्ली में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने 17 सितंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था। आतिशी को नई सीएम बनाया जिन्होंने आज 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली।

आज आतिशी ने क्या कहा

भरत की तरह 4 महीने शासन चलाऊंगी 'आज मैंने दिल्ली के सीएम का कार्यभार संभाला है। आज मेरे मन में वही व्यथा है, जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊं रखकर अयोध्या का शासन संभाला। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी।' 'भगवान श्रीराम ने एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है।'

पॉलिटिकल महाप्रसादम् : तिरुपति लड्डू विवाद में किया मंदिर का शुद्धिकरण, 4 घंटे महाशांति यज्ञ, अब दावा- अब मंदिर पूरी तरह शुद्ध, प्रसाद घर ले जा सकते हैं

24 न्यूज अपडेट



24 न्यूज अपडेट. हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर या तिरुपति मंदिर में शुद्धि के लिए महाशांति यज्ञ का आयोजन किया गया। सुबह 6 से 10 बजे तक चले पंचगव्य प्रोक्षण हुआ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की ओर से 20 पुजारियों ने इसे किया। अनुष्ठान में लड्डू और अन्नप्रसादम रसोई की पंचगव्य शुद्धि की गई। मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक कृष्ण शेषाचल दीक्षितुलु ने मीडिया से कहा कि "सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई कि मंदिर को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाए। इसलिए, हम शांति होम करने के प्रस्ताव के साथ प्रबंधन के पास गए। सुबह 6 बजे हम सभी भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद और अनुमति लेने के लिए गर्भगृह में गए। अब सब कुछ शुद्ध हो गया है, मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान बालाजी के दर्शन करें और प्रसाद घर ले जाएं।" आपको याद दिला दें कि राज्य सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की जांच के लिए एक एसआईजी का गठन किया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 18 सितंबर को कहा था कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। इसके बाद से यह हंगामा हो रहा है।

रेलवे का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से चलेगा विशेष अभियान, पुलिसकर्मी भी नहीं बचेंगे

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्लीः रेल मंत्रालय ने त्योहारों के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसने के लिए विशेष टिकट-जांच अभियान शुरू करने का फैसला किया है. इसके दायरे में पुलिसकर्मी भी आएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने 20 सितंबर को 17 जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर 1 से 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बिना टिकट और अनधिकृत यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने और रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

मंत्रालय ने रेलवे जोन से कहा है कि वे मंडल और जोनल स्तर पर इन अभियानों की निगरानी के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामित करें.

विभिन्न रेल मंडलों में चल रहे नियमित जांच अभियान का हिस्सा रहे रेलवे वाणिज्यिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मी भी उनके रडार पर रहेंगे, क्योंकि वे रेलवे नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं.

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया, "गाजियाबाद और कानपुर के बीच हाल ही में की गई औचक जांच में हमने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को विभिन्न एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के एसी कोचों में बिना टिकट यात्रा करते पाया. जब हमने उन पर जुर्माना लगाया, तो शुरू में उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया और हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी."

उन्होंने आगे कहा कि हम उनकी धमकियों से डरे नहीं और उनसे जुर्माना भरवाया. इस पर ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक थी, क्योंकि वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई देखकर बुहत खुश थे.

उत्तर मध्य रेलवे जोन के टिकट-जांच अधिकारियों ने कहा कि वे पुलिसकर्मियों और अन्य अनधिकृत यात्रियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे वैध टिकट वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं.



प्रयागराज डिवीजन में तीन महीने में 1,17,633 यात्रियों पर जुर्माना

हाल के दिनों में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए पुलिसकर्मियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर प्रयागराज डिवीजन के एक रेलवे प्रवक्ता ने कहा, "हम पुलिसकर्मियों का अलग से डेटा नहीं रखते हैं, हालांकि, पिछले तीन महीनों यानी जून, जुलाई और अगस्त में उत्तर मध्य रेलवे जोन के तहत प्रयागराज डिवीजन में बिना टिकट यात्रा करने के लिए 1,17,633 यात्रियों पर 9 करोड़ 14 लाख 58 हजार 171 रुपये का जुर्माना लगाया गया."

पुलिसकर्मी सबसे बड़ी परेशानी

ट्रेन टिकट परीक्षकों का भी मानना है कि ट्रेनों में यात्रियों के लिए पुलिसकर्मी सबसे बड़ी परेशानी हैं, क्योंकि वे न सिर्फ बिना टिकट यात्रा करके कानून तोड़ते हैं, बल्कि वैध यात्रियों की सीट पर जबरन बैठते हैं और उन्हें परेशान करते हैं. साथ ही कार्रवाई करने के लिए कहने पर रेलवे कर्मचारियों को धमकाते हैं. भारतीय रेलवे टिकट जांच कर्मचारी संगठन (आईआरटीसीएसओ) के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने वाले पुलिसकर्मियों से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे न केवल हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बल्कि अक्सर हमें परेशान करने के लिए फर्जी मामले दर्ज करने की धमकी देते हैं.

संबंधित विभाग ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करें...

सिंह ने कहा, "हाल ही में सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें पुलिसकर्मी वैध टिकट दिखाने के लिए कहने पर रेलवे कर्मचारियों, टीटीई और आम यात्रियों के साथ झगड़ा करते दिख रहे हैं. मैं संबंधित पुलिस विभागों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि वे न केवल नागरिकों के बीच पुलिस की छवि को खराब करते हैं, बल्कि यात्रियों के लिए भी असुविधा का कारण बनते हैं."

रेलवे ने 2231.74 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला

भारतीय रेलवे द्वारा एक आरटीआई के तहत दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेलवे अधिकारियों ने 361.045 लाख यात्रियों को बिना टिकट या अनुचित टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा और उनसे 2231.74 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला ।

संपादकीय : अभिव्यक्ति का हक

करीब छह महीने पहले केंद्र सरकार ने जब 'फैक्ट चेक यूनिट' यानी तथ्य जांच इकाई के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की थी, तभी से इस पर विवाद है। मगर इसे लेकर उभरी असहमतियां और उठे सवालों के बावजूद सरकार शायद इस ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ा रही थी। अब इस मसले पर बंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के लिए अपने पक्ष को निर्विवाद बताना मुश्किल होगा। बंबई हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी बानी आइटी नियमों में किए गए संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया मंचों पर अपने कामकाज के बारे में 'फर्जी और भ्रामक' सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने या झूठा घोषित करने के मकसद से तथ्य जांच इकाई बनाने की इजाजत दी गई थी। इस इकाई को सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को लेकर दी गई जानकारियों को चिह्नित करने की शक्ति भी दी गई थी। इसके तहत यह इकाई अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया मंचों पर किसी जानकारी को झूठी बताती, तो वे कंपनियां वह सूचना या टिप्पणी हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होतीं या उस पर अपने मंच की ओर से अस्वीकरण जोड़ना होता। प्रथम दृष्टया यह कवायद गलत सूचना या जानकारी को दुरुस्त करने या उस पर लगाम लगाने की कोशिश लगती है, मगर इसका सिरा कहां तक जाएगा, यह तय करना मुश्किल है। अगर कभी ऐसे नियम लागू होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार की तथ्य जांच इकाई जिन जानकारियों को फर्जी, भ्रामक या झूठी बताएगी और वह किसी तथ्य की मनमानी व्याख्या नहीं होगी और किसी खास टिप्पणी या जानकारी का चुनाव अपनी सुविधा के मुताबिक या सरकार की छवि बचाने के लिए नहीं होगा ! अगर किन्हीं स्थितियों में ऐसा होता है, तो क्या इससे किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार बाधित नहीं होंगे? इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष मार्च में इस इकाई के गठन से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर इस वजह से रोक लगा दी थी कि इसकी सुनवाई बंबई हाईकोर्ट में चल रही थी । शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम के असर का विश्लेषण बंबई हाईकोर्ट में जरूरी है। अब बंबई हाईकोर्ट ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। सवाल है कि अगर तथ्यों की जांच के नाम पर किसी अन्य पक्ष की ओर से किए गए विश्लेषण या दी गई जानकारी को खुद किसी सरकारी एजेंसी की ओर से बाधित किया जाएगा, किसी की टिप्पणी को हटाया जाएगा, सोशल मीडिया पर उसका खाता बंद करा दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या जगह रह जाएगी ? फिर, किसी जानकारी को भ्रामक या फर्जी बताने की व्यवस्था में क्या सिर्फ सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों की ही जांच की जाएगी या इसका दायरा विस्तृत होगा ? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में विचारों में भिन्नता और असहमतियों के लिए मजबूत जगह रही है और इसी से देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

आस्था और सियासत

राजनीतिक लाभ के लिए आस्था को भुनाने का चलन नया नहीं है। मगर तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी युक्त मिलावटी घी के उपयोग का मामला मंदिरों की पवित्रता से भी जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक मंच से आरोप लगाया कि पिछली सरकार के समय तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डू के लिए सस्ती दर पर मिलावटी घी खरीदा गया। प्रयोगशाला जांच से पता चला है कि उस घी में पशु चर्बी मिली हुई थी । इसे लेकर स्वाभाविक ही विवाद छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को भड़का रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए प्रसाद के नमूने जांच कराने को कहा है कांग्रेस ने मंदिरों की पवित्रता सुनिश्चित करने की जरूरत रेखांकित की है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। मंदिरों में चढ़ावे आदि को लेकर विवाद और उनके प्रबंधन को चुस्त तथा पारदर्शी बनाने की मांग बहुत पहले से उठती रही है। मगर तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रबंध समिति यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इस मामले में बहुत व्यवस्थित और पारदर्शी मानी जाती रही है। वहां बनने वाले प्रसाद के मानक तय हैं। घी और अन्य सामग्री की गुणवत्ता और पवित्रता जांचने के लिए आंतरिक प्रयोगशाला है। तीन स्तरों पर इसकी जांच की जाती है। घी आदि की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार हर छह महीने बाद बदल दिए जाते हैं। इसके बावजूद अगर वहां के प्रसाद की पवित्रता पर सवाल उठे हैं, तो स्वाभाविक ही इससे लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। मंदिर और धार्मिक स्थल राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर होने चाहिए, पर इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि वास्तव में ऐसा है नहीं। इसीलिए तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में पशु चर्बी होने के आरोप पर सियासत शुरू हो गई है। मगर अपेक्षा की जाती है कि इस मामले को दूसरे मामलों की तरह सियासी रंग देकर दरकिनार करने के बजाय मंदिर की पवित्रता सुनिश्चित करने के कठोर उपाय होने चाहिए।

4 साल तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। यातायात पुलिस उदयपुर तथा आधार फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा अभियान के तहत सोमवार को अभियान नोडल प्रभारी एवं राजस्थान पुलिस अधिकारी प्रवीण कुमार ने अनूठे अंदाज में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने आलोक विद्यालय पंचवटी के बच्चों को यातायात नियमों के तहत अत्यधिक सवारी बिठाकर गाड़ी नहीं चलाने, सुरक्षित रूप से वाहन चलाने, अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में नहीं बैठने, सीट बेल्ट और हेलमेट के महत्व आदि के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि आलोक स्कूल और शहर के प्रमुख चौराहों पर सोमवार को यातायात एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित गतिविधियां की गई। आमजन से यातायात नियमों के माध्यम से समझाइश की गई एवं सभी अभिभावकों को भी हिदायत दी गई कि 4 साल तक के बच्चों को भी हेलमेट पहनाएं और पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट लगाना अति आवश्यक है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात नेत्रपाल सिंह ने बच्चों को यातायात नियमों के पालन करने का महत्व समझाया एवं जीवन पर्यंत यातायात नियमों के पालन का वादा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से सवाल-जवाब भी पूछे। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर की गई गतिविधियों में शहर वासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

चौरासी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस:प्रभारी बोले- मनमुटाव दूर करो, बीएपी ने आदिवासियों को गुमराह किया



24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर. कांग्रेस प्रभारी और प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक रामलाल मीणा सोमवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। कांग्रेस पार्टी चौरासी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रभारी और प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक रामलाल मीणा सोमवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चौरासी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांसिया मंडल, सीमलवाड़ा मंडल और डुका मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उपचुनाव को लेकर चर्चा की। कांग्रेस प्रभारी रामलाल मीणा ने बांसिया मंडल की बैठक भादर, सीमलवाड़ा मंडल की बैठक मैंदला और डूंका मंडल की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं ने प्रभारी से संगठन को मजबूत बनाने, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने, किसी युवा को प्रत्याशी बनाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की। प्रभारी रामलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाते हुए आगामी उपचुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं और वर्तमान भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के बीच जाकर बताने का भी आह्वान किया। रामलाल मीणा ने भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता आदिवासी समाज के नाम से युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी राजकुमार रोत को समर्थन दिया, लेकिन वो खुद के विकास में लगे हुए हैं। जनता को मिल रही फ्री की योजनाओं को बंद की पैरवी कर रहे हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने जनता के लिए आवाज उठाना बंद कर दिया है।

ईवी स्कूटी है तो मुमकिन है : चार्जिंग के दौरान ईवी स्कूटी में लगी आग, मिनटों में जलकर राख



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट.भीलवाड़ा। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के खेड़ा खूंट माताजी के निकट ईवी स्कूटी ने चार्जिंग के दौरान आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी स्कूटी जलकर राख में तब्दील हो गई। यह स्कूटी घर के बाहर चार्जिंग पर लगी हुई थी। आग से लोग भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बातया कि एक टैंट हाउस के बाहर खड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी में चार्ज हो रही थी कि अचानक आग लग गई। दमकल वाहन ने कुछ समय में आग पर काबू पा लिया और कोई बड़ा हादसा टल गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। वाहन मालिक अर्पित जैन ने बताया कि संजय कॉलोनी में देवरिया बालाजी रोड स्थित खेड़ा खूंट माताजी के पास स्थित एक टैंट हाउस के बाहर उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी थी। इस दौरान बैटरी में अचानक आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईवी वाहनों के लगातार आग लगने की घटनाएं सामने के बाद इसे गंभीरता से लेकर गहन पड़ताल होनी चाहिए और जो ईवी सुरक्षित नहीं है उनकी बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए ताकि जानों माल का नुकसान नहीं हो। आजकल लोग बड़ी संख्या में ईधन का पैसा बचाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी व अन्य वाहन खरीद रहे हैं लेनिक क्या ये सुरक्षित हैं इस पर सरकारी स्तर पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह तो गनीमत रही कि यह किसी पार्किंग मे नहीं थी। ऐसे में कई जगह लोग अलग से इन वाहनों को पार्क करवाने लग गए हैं।

पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव : परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, दो दोस्तों के साथ घर से गया था युवक



24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर. डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के झेलाना-बालदिया मार्ग पर पूल के नीचे संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या कर शव फेक देने का संदेह जताया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

झेलाना गांव निवासी जीवा (18) पुत्र दिता पारगी रविवार देर शाम को अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक पर निकला था। देर रात तक जीवा अपने घर नहीं लौटा। इसके बाद जीवा का दोस्त दीपेश फटे हुए कपड़ों में जीवा के घर पहुंचा और बताया की उनकी बाइक का बालदिया मार्ग पर एक्सीडेंट हो गया। जिसमें वे घायल हो गए। सूचना पर परिजन दीपेश के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर कोई बाइक नहीं मिली। वहीं, पुल के नीचे जीवा का शव पड़ा हुआ मिला।

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया। सोमवार सुबह परिजन व पुलिस मॉर्च्युरी पहुंचे। मृतक के साथ घर से निकले 2 अन्य युवक का कही सुराग भी नहीं लगा। परिजनों ने हत्या के बाद शव पुल के नीचे फेंकने के आरोप लगाए है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ओवरफ्लो टंकी का तत्काल वाल्व रिपेयर कर वितरण कार्य शुरू करवाया

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर, 23 सितंबर/आसपुर उपखंड क्षेत्र के पुंजपूर गांव में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सोम कमला आम्बा फ्लोराइड मुक्त पेयजल टंकी के ओवरफ्लो होने पर तत्काल ठीक करवा कर वितरण शुरू करवाया गया है। अधीक्षण अभियंता पीएचईडी ने बताया कि ग्रामीण जल योजना पूंजपुर वर्तमान में 61 गांवों की वृहद पेयजल योजना से लाभान्वित है। इस गांव में मुख्य बैलेंसिंग रिजर्वायर स्थापित है, जिससे पूंजपुर योजना के साथ ही बोडीगामा बड़ा, बोडीगाम छोटा, माल, काब्जा आदि ग्रामों की पेयजल सप्लाई की जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त उच्च जलाशय को शनिवार 21 सितंबर को प्रातः काल सोम कमला आम्बा स्थित मुख्य बैलेंसिंग रिजर्वायर से भरा जा रहा था, जिसके दौरान उच्च जलाशय के सप्लाई लाइन का वाल्व खराब हो जाने से वाल्व खुल नहीं पाया था, जिसे पूर्ण दबाव से हो रहे जल भंडारण के कारण उच्च जलाशय ओवरफ्लो हो चुका था । उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से वाल्व रिपेयर करवा कर पेयजल वितरण सुचारू करवा दिया गया है। इसके साथ ही संबंधित संवेदक को भी पाबंद किया गया है।

हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के 8 मामलों मे फरार अंतर्राज्यीय आरोपी सोनु उर्फ कलर गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

निम्बाहेडा 23 सितम्बर। कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस की विशेष टीम ने हत्या का प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के 8 मामलो मे फरार अंतर्राज्यीय आरोपी सोनु उर्फ कलर को गिरफ्तार किया है । आरोपी के विरूद्व दर्जन भर से अधिक हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, लडाई झगडा, डकेती, उद्यापन्न, एवं फिरोती मांगने के प्रकरणों में राजस्थान के 10 से अधिक थानो मे फरार चल रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी ने बताया कि स्थाई वारण्टी/भगोडे /उद्यघोषित अपराधी एवं वांछित अभियूक्तो की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पर्वत सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व बद्री लाल राव पुलिस उप अधीक्षक वृत निम्बाहेडा के नेतृत्व में रामसुमेर पु.नि. थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा सूरज कुमार एएसआई मय जाप्ते की एक विशेष टीम का गठन किया गया। दिनांक 22 सितंबर 2024 को एएसआई सुरज कुमार मय जाप्ता को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि सोनु उर्फ कलर निवासी बिसलवास कला जो हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मामले मे फरार चल रहा है। जो अपने घर पर आया हुआ है और कुछ देर मे जीरण पहुचेगा। इस पर एएसआई सूरज कुमार मय जाप्ता द्वारा बिना समय गवाये तुरन्त पुलिस थाना जीरण नीमच मध्यप्रदेश पहुचे जहां पर पुलिस थाना जीरण के अधिकारीयो/कर्मचारियों की सहायता से उक्त आरोपी को गिरफतार किया गया। आरोपी सोनु के विरूद्व दर्जन भर से अधिक हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, लडाई झगडा, डकेती, उद्यापन्न, एवं फिरोती मांगने के राजस्थान मे 10 से अधिक थानो मे फरार चल रहा है। उक्त आरोपी की पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा, निकुम्भ, चित्तौडगढ, भी तलाश कर रही है। उक्त आरोपी पिछले 5 साल से फरारी नीमच मंदसौर, उज्जैन, काट रहा था और अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। मुखबिर सूचना के आधार पर अभियूक्त को गिरफतार किया गया।

अभियुक्त अपनी गिरफतारी से बचने के लिये काफी समय से मोबाईल का उपयोग नही कर रहा था तथा इधर उधर छिपता फिर रहा था।

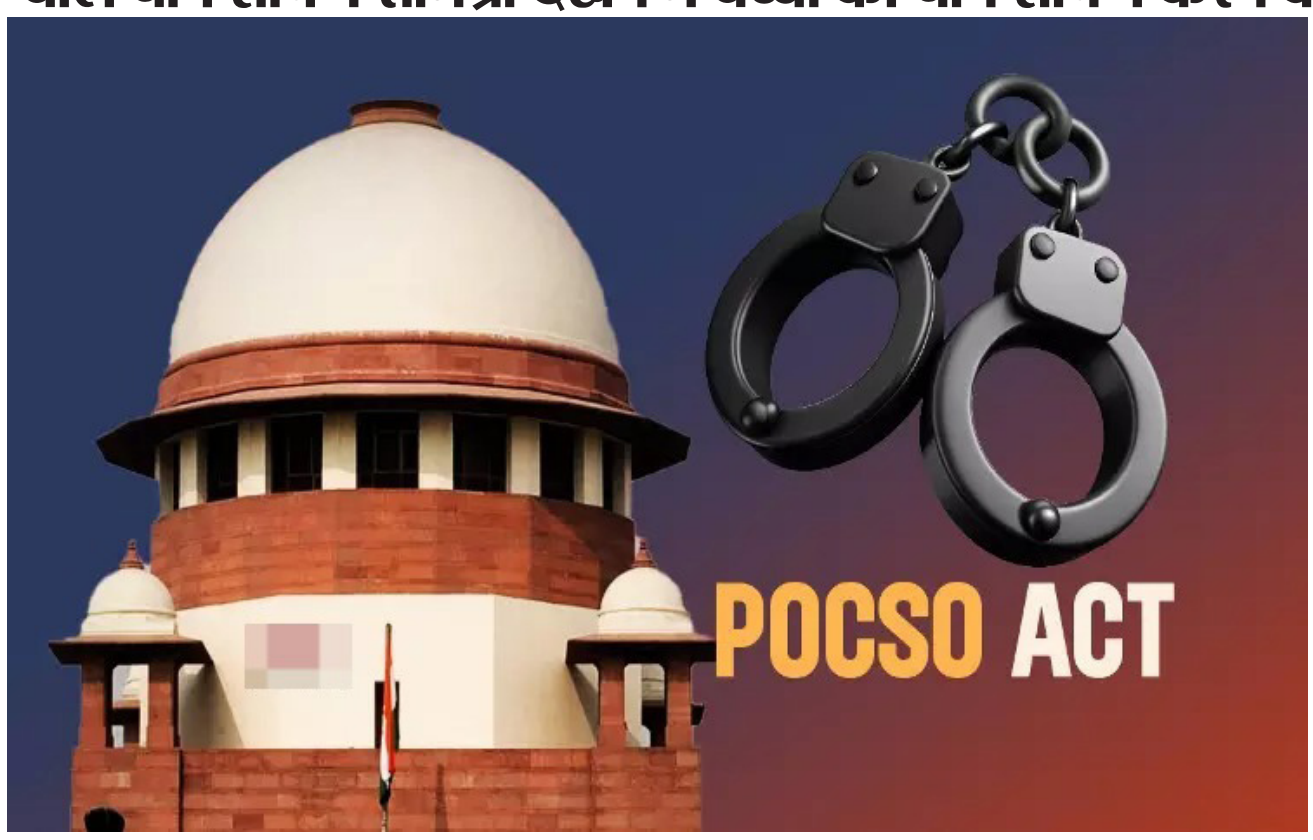
ऐतिहासिक छतरी तोड़ने का विरोध मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने सौंपा ज्ञापन



24 न्यूज अपडेट

निंबाहेड़ा कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा बूंदी के शासक राव सूरजमल हाडा की ऐतिहासिक छतरी तोड़े जाने के विरोध में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा निंबाहेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर विरोध दर्ज कराते हुए विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग की गई है। जानकारी देते हुए मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के कुलदीप सिंह डाबला ने बताया कि कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा हाडोती और समग्र राजपूत समाज का गौरव बूंदी के शासक रहे राव सूरजमल हाडा लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनकी ऐतिहासिक छतरी को तोड़े जाने से जनभावना आहत हुई है। इस छतरी पर आस्था से लोग आते हैं और ऐसे में छतरी को तोड़ा जाना निंदनीय कृत्य है। जिसे समाज विरोध करता है। इसी के साथ ज्ञापन में मांग की गई है कि इस स्मारक का पुनर्निर्माण करवाया जाए और साथ ही कोटा में बना रहे हवाई अड्डे का नाम राव सूरजमल के नाम पर किया जाना चाहिए। साथ ही इस छतरी को तोड़ने में शामिल रहे अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। मांग नहीं माने जाने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान मेवाड़ क्षेत्र महासभा के अध्यक्ष शिवराज सिंह विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान , लक्ष्मणसिंह बडोली, कुलदीप सिंह डाबला कुलदीप सिंह झाला दीपक सिंह बडोली रणजीत सिंह नारेला हिंदू जागरण मंच के बबलू माली एवं क्षत्रिय समाज से महिपाल सिंह दीपक अरविंद पाल सिंह सोलंकी कमल सिंह गणपत सिंह जी बेमला दिलीप सिंह करण सिंह विजय सिंह अरविंद सिंह जी लक्ष्यराज सिंह राजेंद्र सिंह मिनाना बृजेंद्र सिंहझाला जगपाल सिंह महीराज सिंह सत्येंद्र सिंह चंद्रभान सिंह लक्ष्यराज सिंह कमल सिंह भूपेंद्र सिंह नरेंद्र जी धुत सुरेश कुदाल राहुल जी एवं अनेक हिंदू समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

सुप्रीम कोर्ट बोला- चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध:मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटा; कहा- अदालतें इस शब्द का इस्तेमाल भी न करें, बाल यौन शोषण सामग्री देखने में बच्चों का यौन शोषण करने की इच्छा निहित



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने 'बाल पोर्नोग्राफी' के भंडारण को दंडित करने संबंधी अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया कि 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' के उपभोग या भंडारण के कृत्य में बाल यौन शोषण के अपराध का सामान्य उद्देश्य निहित है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यद्यपि व्यावहारिक रूप से भिन्न हैं, सीएसईएएम और बाल यौन शोषण दोनों में एक "सामान्य, दुर्भावनापूर्ण इरादा हैः शोषणकर्ता की यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का शोषण और अपमान।" न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सीएसईएएम और पारंपरिक अर्थों में बाल शोषण के अपराध दोनों में ही यौन शोषण और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की मंशा केंद्रित है। ऐसे सीएसईएएम को बनाने या उसका उपभोग करने वाला व्यक्ति बच्चे पर पड़ने वाले दर्दनाक प्रभावों और पीड़ित के शोषण से अच्छी तरह वाकिफ होता है। "यद्यपि, सीएसईएएम देखने की क्रिया और बच्चों के यौन शोषण में शामिल होने की क्रिया के बीच एक ठोस अंतर मौजूद है, फिर भी बाद वाली इच्छा हमेशा पहले वाले में अंतर्निहित होती है।" "बाल यौन शोषण सामग्री का निर्माण स्वाभाविक रूप से यौन शोषण के कृत्य से जुड़ा हुआ है। दोनों मामलों में, इरादा स्पष्ट हैः एक बच्चे का यौन शोषण करना और उसे नुकसान पहुँचाना। ऐसी सामग्री का निर्माण एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जहाँ दुर्व्यवहार करने वाला जानबूझकर बच्चे का शोषण करता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इससे उसे कितना नुकसान पहुँचेगा।" उल्लेखनीय है कि POCSO अधिनियम की धारा 15 बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण को दंडित करती है । अधिनियम की धारा 14 और 13 बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने को दंडित करती है। धारा 11 बच्चों पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करती है और धारा 12 यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान करती है। सीएसईएएम की दूरगामी बुराइयाँ और दर्शकों पर इसका प्रभाव न्यायालय ने विश्लेषण किया कि सीएसईएएम जैसे बाल शोषण से संबंधित अपराधों में, बच्चे को दुर्व्यवहार करने वाले की गलत संतुष्टि के लिए मात्र एक वस्तु बना दिया जाता है। सीएसईएएम के उत्पादन और वितरण के कार्य में इस तरह की वस्तुकरण परिलक्षित होता है। यह आगे इस बात पर जोर देता है कि सीएसईएएम का उपभोग करने वाले दर्शक प्रभावित हो सकते हैं और सामग्री में देखे गए बाल शोषण के कृत्यों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। "230. यह इरादा ही इन अपराधों को विशेष रूप से जघन्य बनाता है। दुर्व्यवहार करने वाला न केवल बच्चे के शरीर का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि बच्चे की गरिमा या भलाई के बारे में बिलकुल भी ध्यान न देते हुए उसे अपनी संतुष्टि के लिए एक वस्तु में बदल रहा है। यह अमानवीयकरण CSEAM के उत्पादन और वितरण में स्पष्ट है, जहाँ बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि उपभोग की जाने वाली वस्तु के रूप में माना जाता है। जो लोग ऐसी सामग्री का उपभोग करते हैं, उनमें बाल शोषण के और अधिक कृत्यों में शामिल होने की इच्छा बढ़ सकती है। CSEAM को देखने से व्यक्ति बाल शोषण की भयावहता के प्रति असंवेदनशील हो सकता है, जिससे वे शोषण के अधिक चरम रूपों की तलाश करने या यहाँ तक कि खुद भी दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।" न्यायालय ने सीएसईएएम के बढ़ते दर्शकों के मुद्दे पर भी विचार किया, जिससे ऐसी सामग्रियों की मांग और आपूर्ति चक्र में वृद्धि हुई, जिससे बच्चों का शोषण बढ़ रहा है। इस तरह के डोमिनो प्रभाव से बचने के लिए, न्यायालय ने सीएसईएएम के निर्माता और वितरकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को दंडित करने के लिए कड़े कदम उठाने को आवश्यक माना। " 231. इसके अलावा, ऐसी सामग्री की मांग हमेशा CSEAM के उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देगी। दुर्व्यवहार करने वाले मांग को पूरा करने के लिए इन सामग्रियों को बनाने और वितरित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे और अधिक बच्चों का दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग और शोषण का यह चक्र न केवल CSEAM बनाने और वितरित करने वालों को दंडित करने के लिए बल्कि संभावित उपभोक्ताओं को रोकने और ऐसी सामग्री की मांग को कम करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।" सीएसईएएम के बच्चे के भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पर विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए, न्यायालय ने सीएसईएएम को बच्चों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन माना। न्यायालय ने आगे कहा कि सीएसईएएम के कृत्य पीड़ितों के मानसिक स्वास्थ्य को इस तरह प्रभावित करते हैं कि यह बचपन के आघात में परिणत होता है जो वयस्क होने पर भी बना रहता है। "232. बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बना देती है, उनकी मानवता को छीन लेती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा होने का अधिकार है जो उनकी गरिमा का सम्मान करता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। हालाँकि, CSEAM इस अधिकार का सबसे अधिक गंभीर तरीके से उल्लंघन करता है।" "235. सीएसईएएम का अपने पीड़ितों पर प्रभाव विनाशकारी और दूरगामी है, जो उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। इस तरह के जघन्य शोषण के शिकार अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरते हैं जो अवसाद, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के रूप में प्रकट हो सकता है। उनके साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित होने की निरंतर याद दिलाने से पीड़ित और असहाय होने की भावना लगातार बनी रहती है, जिससे शर्म, अपराधबोध और बेकार होने की भावना और बढ़ जाती है। यह जागरूकता पीड़ितों के लिए आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण बना सकती है, क्योंकि दूसरों द्वारा पहचाने जाने और न्याय किए जाने का डर हमेशा बना रहता है।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचा 10वीं का छात्र, कहा- मेरी मम्मी का ट्रांसफर नहीं हो रहा



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। जयपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है। राजनाथ सिंह आज यहां पर भवानी निकेतन स्कूल कैंपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। इस कार्यक्रम के समापनप पर राजनाथ सिंहएयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे। इसी दौरान एक छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों ने उस छात्र को उठाकर तुरंत बाहर की ओर धकेल दिया। तब तक राजनाथ सिंह ने छात्र को देख लिया था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी बात ध्यान से सुनी। इस छात्र का नाम हर्ष भारद्वाज है व उसने राजनाथसिंह से कहा कि वह 10वीं का विद्यार्थी है और जयपुर में अकेला रहता है। उसकी मम्मी झालावाड़ में सरकारी टीचर हैं। उनका ट्रांसफर यहां नहीं हो रहा है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि उसके बाद तबादले के आदेश हुए या नहीं। इससे पहले राजनाथसिंह ने सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन शिक्षा समिति एवं ट्रस्ट के अंतर्गत सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया व कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर कृषि भी प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान प्राइवेट सेक्टर करता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी प्राइवेट की भूमिका पब्लिक सेक्टर से कहीं ज्यादा है। आज देश की अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है, इसलिए देश में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना इसी पीपीपी मोड पर की जा रही है। यहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की ताकत मिलकर काम करेगी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं। राजस्थान में बड़ी संख्या में सैनिक परिवार रहते हैं। ऐसे में यहां के बच्चों में बचपन से ही देशभक्त की भावना पैदा हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में पीपीपी मोड पर 100 सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया था। अब स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ देशभक्ति की भावना भी बच्चों में पैदा होगी।

मावली में मदरसे को आवंटित जमीन को जंगी प्रदर्शन के बाद भूमि निरस्त करने की की अनुशंसा



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। कांग्रेस सरकार में मदरसे को आवंटित जमीन को लेकर आज सर्व समाज ने मावली में जंगी धरना-प्रदर्शन किया। मावली बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग पहुंचे। हनुमान-चालीसा का पाठ किया और राम धुन गाई। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया इस बीच चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी प्रदर्शन में शामिल हुए व बताया कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की गई थी उसे निरस्त किया जाए। इसके लिए अब्दुल रहमान प्रकरण का हवाला दिया गया। कहा गया कि आवंटित जमीन के आसपास हिन्दू मंदिर और श्मशान भी हैं, ऐसे में इस जमीन का आवंटन खारिज किया जाना चाहिए। करीब 6 गांवों के लोगों के जंगी प्रदर्शन के बाद उदयपुर कलेक्टर ने संयुक्त शाशन सचिव राजस्थ्व ग्रुप तीन को उदयपुर कलेक्टर ने पत्र लिख कर भूमि आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा की । इसमें जल भराव व कानून व्यवस्था को कारण बताते हुए अनुशंसा की गई है। विहिप की ओर से कहा गया कि मावली में 2021 में आराजी संख्या 5330, 1745 और आराजी संख्या 5331, 1745 के तहत 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसे के लिए मावली नगर परिषद के सामने जमीन आवंटित की गई है। जमीन जलभराव क्षेत्र में होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। भूमि पर श्मशान की भूमि और मंदिर हैं। सुबह ज्ञापन दिया गया व उससे पहले मावली पुराने बस स्टैंड पर 12 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और भजन गाए गए। रैली के रूप में आए लोगों ने ज्ञापन दिया।

हाईकोर्ट बोला- सरकार दुर्गा पूजा कमेटियों को 10 लाख दे : ये पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, अभी मिल रही 85 हजार की रकम मामूली



24 न्यूज अपडेट

कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली 85000 रुपए की रकम मामूली है।

आयोजकों का इससे कई गुना तो खर्च हो जाता होगा। सरकार को कम से कम हर दुर्गा पूजा समिति को 10 लाख रुपए की रकम देने पर विचार करना चाहिए।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की बेंच दुर्गा पूजा आयोजकों को दी जाने वाली राशि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि पूजा समितियों को मिलने वाली सहायता राशि का कोई हिसाब-किताब नहीं होता। ऐसे में उन्हें ये आर्थिक मदद देनी बंद करनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस तरह की कोई भी रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।

चीफ जस्टिस बोले- दुर्गा पूजा राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा

चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम ने कहा कि उन्होंने पिछले दो सालों में कई दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा किया। उन्हें लगता है कि आयोजन में जितना खर्च हो जाता है, उसकी तुलना में 85,000 रुपए कुछ भी नहीं हैं।

हालांकि पूजा समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की तरफ से राशि बांटनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा पूजा राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से कहा कि राज्य को प्रत्येक आयोजक को 10 लाख रुपए देने पर विचार करना चाहिए।

कोर्ट बोली- सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे कहां खर्च हो रहे, यह देखना होगा

अदालत ने आगे कहा कि कमेटियों को पैसा मिलता है तो यह भी देखना होगा कि वे इस धनराशि का कैसे उपयोग करते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता की वकील नंदिनी मित्रा ने कहा कि यह चिंताजनक है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता पर विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा खर्च का लेखा-जोखा नहीं दिया जा रहा है।

इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर एक याचिका का निपटारा अक्टूबर 2020 में हाईकोर्ट द्वारा किया गया था, और सरकार की तरफ से अदालत के निर्देशानुसार एक रिपोर्ट भी दायर की गई थी।

दुर्गा पूजा पंडालों में लाइट पर मिलने वाली छूट की याचिका रद्द

याचिकाकर्ता की तरफ से पूजा पंडालों के दौरान बिजली शुल्क पर छूट को भी रोकने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इसे याचिका को रद्द कर दिया। जस्टिस बिवास पटनायक ने कहा कि लाइट पर होने वाले खर्च से छूट देना एक सार्वजनिक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि पंडालों में लाइटिंग व्यवस्था बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करता है।

मामा-भांजों ने बनाई डमी अभ्यर्थी बिठाने वाली गैंग, फर्जीवाड़े से SI बना शातिर...निकला मास्टरमाइंड



24 न्यूज अपडेट

जयपुर. राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाने और नौकरी लगवाने का खेल लंबे समय से चल रहा है. भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच कर रही एसओजी लगातार ऐसे गिरोहों का खुलासा कर शातिरों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है. अब एसओजी ने एक ऐसी ही गैंग का पर्दाफाश किया है. जिसने तीन भर्ती परीक्षाओं में एक शातिर को डमी अभ्यर्थी बनाकर बिठाया और छह लोगों को परीक्षा पास करवाकर नौकरी हथिया ली. खास बात यह है कि इस गैंग में तीन सगे भाई और एक उनका मामा भी शामिल है. एसओजी ने इस गिरोह से जुड़े तीन बदमाशों को अब तक गिरफ्तार किया है. जबकि गैंग का सरगना अभी भी फरार है. वह अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा और साक्षात्कार दिलवाकर एसआई बना और इंटेलिजेंस में तैनात था. मामले का खुलासा होने के बाद से वह फरार चल रहा है.

एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले रोशनलाल मीणा को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो इस गैंग के कई राज सामने आए हैं. इस गिरोह का सूत्रधार मनीष मीणा है. जिसने अपनी जगह रोशनलाल मीणा को बिठाकर परीक्षा पास की. मनीष की जगह रोशनलाल ने ही साक्षात्कार भी दिया. मनीष 2020 से इंटेलिजेंस में एसआई के पद पर तैनात रहा. भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोहों पर एसओजी ने शिकंजा कसना शुरू किया. तब से वह फरार चल रहा है. मनीष मीणा के भाई दीपक मीणा की जगह एसआई भर्ती-2021 में रोशनलाल मीणा ने परीक्षा दी थी. वह लिखित परीक्षा में पास भी हो गया था. हालांकि, वह फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया. अब दीपक भी एसओजी के हत्थे चढ़ गया है. मामा और भांजा बन गए वाणिज्यिक कर में लिपिक : मनीष मीणा के एक दूसरे भाई दिनेश मीणा और मामा महेश कुमार मीणा ने वाणिज्यिक कर विभाग में लिपिक ग्रेड-2 के लिए आवेदन किया. इन दोनों की जगह रोशनलाल मीणा ने परीक्षा दी और दोनों पास हो गए. दिनेश और महेश वाणिज्यिक कर विभाग में लिपिक ग्रेड-2 के पद पर नौकरी कर रहे हैं. इनमें से महेश मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दिनेश मीणा की तलाश में एसओजी के अधिकारी जुटे हुए हैं.

पटवारी, लिपिक और एसआई भर्ती में डमी अभ्यर्थी : एसओजी की अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि रोशनलाल मीणा ने मनीष और दीपक की जगह एसआई भर्ती परीक्षा दी. दिनेश और महेश की जगह लिपिक ग्रेड-2 की परीक्षा में वह डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठा. इसके साथ ही उसने कंचनलाल मीणा और सागर मीणा की जगह पटवारी सीधी भर्ती में भी डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी. दोनों का चयन भी हो गया. कंचनलाल अलवर में और सागर अजमेर में पटवारी के पद पर कार्यरत है.

भट्टियानी चौहट्टा महालक्ष्मी मन्दिर में माता महालक्ष्मी का प्राकट्योत्सव कल धूमधाम से मनेगा



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। भट्टियानी चौहट्टा स्थित महालक्ष्मी मन्दिर में मंगलवार 24 सितम्बर को माता महालक्ष्मी का प्राकट्योत्सव धूम धाम से मनाया जायेगा । श्रीमाली जाति सम्पति व्यवस्था ट्रस्ट के सचिव मधुसूदन बोहरा ने बताया कि, प्रातः 5.00 बजे पंचामृत अभिशेक एवं शोडशोपचार विधि से पूजन किया जायेगा तत्पष्चात् श्री सुक्त के पाठ होगे । प्रातः 10.00 बजे से यज्ञ हवन प्रारम्भ होगे, जिसमें समाज के पांच जोड़े आचार्य मनीष श्रीमाली के सानिध्य में हवन करेंगे तत्पष्चात पूर्णाहूति होगी । सायं 5.15 बजे से सुन्दरकाण्ड का पाठ प्रारम्भ होगा रात्रि 12.00 बजे महाआरती होगी जिसमें लक्ष्मी माता को खीर, पंजरी फल आदि का भोग लगाया जायेगा और भक्तों को प्रसाद वितरित कियाजायेगा । इस अवसर पर महालक्ष्मी को स्वर्ण चांदी का वेष धारण कर विषेश श्रृंगार करवाया जायेगा । इस अवसर पर महालक्ष्मी मन्दिर में विषेश आकर्शक सज्जा की गई है।

उदयपुर सिटी-श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा-उदयपुर सिटी स्पेशल (07 ट्रिप) रेलसेवा का संचालन 2 से



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। रेलवे द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु उदयपुर सिटी-श्रीमातावैष्णादेवीकटरा- उदयपुर सिटी स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 09603, उदयपुर सिटी-श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा स्पेशल रेलसेवा दिनांक 02.10.24 से 13.11.24 तक (07 ट्रिप) उदयपुर सिटी से बुधवार को 01.50 बजे रवाना होकर गुरूवार को 06.35 बजे श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा पहुॅचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 09604, श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा - उदयपुर सिटी स्पेशल रेलसेवा दिनांक 03.10.24 से 14.11.24 तक (07 ट्रिप) श्रीमातावैष्णोदेवी कटरा से गुरूवार को 10.50 बजे रवाना होकर शुक्रवार को 13.55 बजे उदयपुर सिटी पहुॅचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में राणाप्रतापनगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाडा, मांडल, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ, फुलेरा, रींगस, सीकर, नवलगढ, झुंझुनू, चिडावा, सुरजगढ, लोहारू, सादुलपुर, सिवानी, हिसार, धुरी, लुधियाना, जालन्धर कैंट व जम्मूतवी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेलसेवा में 02 सैकण्ड एसी, 06 थर्ड एसी, 02 थर्ड एसी इकोनोमी, 05 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पॉवरकार व 01 गार्ड डिब्बो सहित कुल 21 डब्बे होंगे।

बेगूं में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई:रसद विभाग ने 5 दुकानों पर छापा मारा, 35 गैस सिलेंडर जब्त किए



24 न्यूज अपडेट

बेगूं. बेगूं में सोमवार को जिला रसद अधिकारी की टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की। 5 दुकानों पर छापा मारकर 35 गैस सिलेंडर और उपकरण जब्त किए। रसद विभाग की टीम की सूचना पर कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर भाग गए।

चित्तौड़गढ़ जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में 17 से 27 सितंबर तक अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सोमवार को बेगूं और काटूंदा चौराहे पर 5 दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए 35 घरेलू गैस सिलेंडर और 5 रिफिलिंग के उपयोग में ली जाने वाली मोटर जब्त की गई।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।